



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240837  
CG-DL-E-06122022-240837

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5450]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्राहायण 15, 1944

No. 5450]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5682(अ).—यतः, मै. जी.एम.आर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (पूर्ववर्ती मै. जी.एम.आर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड), जो तेलंगाना राज्य में एक गैर सरकारी संगठन है, ने तेलंगाना राज्य के ग्राम ममीदीपल्ली, जिला रंगा रेडी में विमानन हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के तहत एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2637(अ) दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 एवं का.आ. 883(अ) दिनांक 24 मार्च, 2009 द्वारा उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 101.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित तथा 8.92 हेक्टेयर के क्षेत्र अनधिसूचित किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने दिनांक 3 मार्च, 2010 पत्र स. एफ.1/12/2007-एसईजेड द्वारा मै. जी.एम.आर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से जी.एम.आर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन के अंतरण हेतु अनुमोदन संप्रेषित किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने दिनांक 8 अगस्त, 2011 के पत्र स. एफ.1/12/2007-एसईजेड द्वारा एसईजेड के क्षेत्र को “विमानन” से परिवर्तित कर “मौजूदा हवाई पट्टन में स्थित एसईजेड” करने हेतु अपना अनुमोदन संप्रेषित किया था;

और यतः, मै. जी.एम.आर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 8.90 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, डेवलपर के अनुसार, अनधिसूचित क्षेत्र का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा और मै. श्राइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा. लिमिटेड मुख्य रूप से वैक्यूम स्विचिंग उपकरण से संबंधित विद्युत उपकरणों और घटकों के निर्माण और असेंबली इकाई के लिए प्रस्तावित अनधिसूचित क्षेत्र का उपयोग करने का इरादा रखता है;

और तेलंगाना राज्य सरकार ने उनके पत्र संख्या 2719/आईपी&इंफ/ए2/2022 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 8.90 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 8.90 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 84.10 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

#### अनधिसूचित क्षेत्र के लिये तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	ममीदीपल्ली	99/1/भाग	8.56
2.		133/भाग	0.34
कुल			8.90
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			84.10

[फा. सं. एफ.1/12/2007-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

**S.O. 5682(E).**—WHEREAS, M/s. GMR Hyderabad Aviation SEZ Limited (Formerly M/s. GMR Hyderabad International Airport Limited) a private organisation in the State of Telangana, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Aviation at Village Mamidipally, District Ranga Reddy in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 101.92 hectares and de-notified an area of 8.92 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 2637(E) dated 20<sup>th</sup> October, 2009 and S.O. 883(E) dated 24<sup>th</sup> March, 2014, respectively;

AND WHEREAS, the Central Government, vide letter No. F.1/12/2007-SEZ dated 3<sup>rd</sup> March, 2010 conveyed the approval for transfer of formal approval from M/s. GMR Hyderabad International Airport Limited to M/s. GMR Hyderabad Aviation SEZ Limited;

AND WHEREAS, the Central Government, vide letter No. F.1/12/2007-SEZ dated 8<sup>th</sup> August, 2011, conveyed the approval for change of Sector of the SEZ from 'Aviation' to 'SEZ in an existing Airport';

AND, WHEREAS, M/s. GMR Hyderabad Aviation SEZ Limited, has now proposed for de-notification of 8.90 hectares at the above Special Economic Zone. Further, as per the Developer, the proposed de-notification area will be used for industrial purpose and M/s. Schneider Electric India Pvt. Ltd. intends to use the proposed de-notification area for manufacturing & Assembly unit of electrical devises and components mainly related to vacuum switching equipment;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. 2719/IP&INF/A2/2022 dated 13.09.2022;

AND WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 8.90 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 8.90 hectares, thereby making resultant area as 84.10 hectares. The survey numbers and the areas for de-notification are given below in the table, namely: -

**TABLE FOR DENOTIFICATION AREA**

S. No.	Village Name	Survey No.	Total area (in hectares)
1.	Mamidipally	99/1/p	8.56
2.		133/p	0.34
Total			8.90
Grand total area of SEZ after above deletion			84.10

[F. No. F. 1/12/2007-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.